//निर्णय//

(आज दिनांक 07/08/26 को घोषित किया गया।)

01. अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति किये जाने के आधार पर यह साबित हैं कि अभियुक्त दिनांक 19/07/26 को समय लगभग 20:49 बजे, आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा जिला इंदौर स्थित सुगनीदेवी मैपाल परदेशीपुरा में, सार्वजनिक स्थान पर, अवैध रूप से शराब पीते पाये गये। परिणामतः अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ख) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

03. अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्वदोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गयी अपराध स्वीकारोक्ति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ख) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में ₹500/- (पांच सौ रुपये) रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिन दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

04. प्रकरण में जप्तशुदा बोलट कम्पनी की बोतल बियर महत्वहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

07/08/26
नीरज अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित।

07/08/26
नीरज अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)